न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद, बिजनौर।

फौजदारी वाद सं0 1727/2006

सरकार बनाम बुन्दू आदि।

धारा–446 दं0प्र0सं0

थाना–किरतपुर, बिजनौर।

<u>04–08–2026</u>

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध जारी आदेशिका पर थाने से आख्या प्राप्त हुई कि अभियुक्तगण बुन्दू व अ0 गफूर की मृत्यु हो चुकी है। थाने से प्राप्त आख्या ब–9/1 व ब–9/3 को सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा सब्मिट किया गया है। आख्या के साथ रूखसाना सभासद वार्ड नं0 09 नगर पालिका परिषद्, किरतपुर, जिला बिजनौर द्वारा जारी अभियुक्त बुन्दू की मृत्यु के संबंध में प्रमाण पत्र ब–9/2 व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अभियुक्त अ0 गफूर की मृत्यु के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र ब–9/4 भी पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण की मृत्यु हो चुकी है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जानी आवश्यक है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त वाद में अभियुक्तगण बुन्दू व अ0 गफूर के विरूद्ध कार्यवाही उपशमित की जाती है। अतः पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

(अरूण सिंह राठौर)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
नजीबाबाद, बिजनौर